न्यायालय उप जिला कलक्टर टोडाभीम

मु.नं. 64/11 तारीख रजू 9-8-2011

पीठासीन अधिकारी - जगदीश आर्य R.A.S.

उनवान

1. पृथ्वीराज } पि० रामसहाय
2. भवानी }
3. राजन्ती पत्नि रामसहाय
4. मुरारी पुत्र लक्ष्मण

समस्त जाति मीना निवासी नाँद कलाँ तहसील टोडाभीम जिला - करौली (वादीगण)

बनाम

1. सरूपा पुत्र छोकड्या
2. हरसहाय } पि० नारायण
3. कल्याण }
4. लोहड़ी पत्नि शिवजी
5. गोपीसहाय पुत्र शिवजी

(1 से 5) समस्त जाति मीना निवासी नाँद खुर्द तहसील टोडाभीम जिला - करौली

6. तहसीलदार टोडाभीम
7. बत्तू पुत्र रतनलाल जाति मीना निवासी नाँद खुर्द तह० टोडाभीम
8. परसादी } पि० परल्या
9. बृजमोहन }
10. रामकुमार पुत्र लक्ष्मण
11. सुन्दर पत्नि लालचंद (मृतक)
12. हँसराम } पि० लालचँद
13. जलधारी }
14. मलुवा }

समस्त जाति मीना निवासी नाँद कलाँ तहसील टोडाभीम

(प्रतिवादीगण)

दावा बावत इन्द्राज दुरूस्ती एवं स्थायी निषेधाज्ञा

उपस्थिति - श्री मनोज कुमार शर्मा Adv. (वादीगण)
श्री रामभरोसी गुप्ता Adv. (प्रतिवादीगण) 1 ता 5

निर्णय दिनांक 29.11.2017

संक्षिप्त में मामला इस प्रकार है कि वादीगण की ओर से इन्द्राज दुरूस्ती एवं स्थायी निषेधाज्ञा का वाद इस आशय

जगदीश आर्य
उपजिला कलक्टर
टोडाभीम

(लगातार)

से पेश किया कि ग्राम जौंद तहसील टोडाभीम की आराजी खसरा नम्बर (साबिक) 638, नवीन खसरा नम्बर 1071, 1072, 1073, 1077, 1078, 1082, 1083, 1064/1784 कुल किता 8 कुल रकबा 2.74 हे० वादी एवं प्रतिवादी के संयुक्त कब्जे काश्त व खातेदारी की भूमि है। साबिक खसरा नम्बर 632 लगायत 636 मिन, नवीन खसरा नम्बर 1055, 1076, 1074 प्रतिवादी 1 लगायत 5 के संयुक्त खातेदारी की भूमि है। भू प्रबन्ध विभाग की कार्यवाही में साबिक के मुकाबले हाल ट्रेस को गलत प्रकार से बना दिया है। तथा वादी की भूमि के ट्रेस में प्रतिवादी के खसरा नम्बर 1055, 1076, 1074 को शामिल कर दिया है। जिसको नजरी नक्शे में लाल रंग की लाईन से महदूद किया है। भू प्रबंध विभाग को साबिक नक्शा ट्रेस के मुताबिक हाल ट्रेस जोरा कर वादीगण की खातेदारी की भूमि का रकबा प्रतिवादीगण की भूमि खसरा नम्बर 1055, 1076, 1074 में मिलाने का कोई अधिकार नहीं था। साबिक नक्शा ट्रेस के अनुसार हाल नक्शा ट्रेस दुरुस्त की जावे तथा प्रतिवादीगण को स्थायी निषेधाज्ञा से पाबंद करने यह दावा पेश किया था।

दावा दर्ज रजिस्टर कर प्रतिवादीगण को सम्मन जारी कर तलब किया। प्रतिवादी नं. 6 ता. 14 के विरुद्ध एक पक्षीय कार्यवाही के आदेश उपस्थित नहीं होने के कारण दिये गये। प्रतिवादी नं. 1 ता 5 की ओर से श्री रामभरोसी गुप्ता Adv. ने उपस्थित होकर जबाब प्रस्तुत किया कि भू प्रबंध विभाग ने हाल नक्शा ट्रेस सही बनाया है। हाल खसरा नं. 1055, 1076, 1074 में वादीगण की कोई भूमि शामिल नहीं की है। वादीगण ने गलत दावा पेश किया है खारिज किया जावे।

इस प्रकरण में सुनवाई कर साक्ष्य व रिकार्ड के आधार पर पूर्ण विवेचन कर वादी का दावा बावत इन्द्राज दुरुस्ती एवं स्थायी निषेधाज्ञा दिनांक 18.3.2008 को डिक्री किया गया था।

Scanned by CamScanner

इस निर्णय के विरुद्ध प्रतिवादीगण / लगायत 5 ने अपील माननीय न्यायालय राजस्व अपील अधिकारी सवाईमाधोपुर के यहाँ प्रस्तुत की / जिसे अपील संख्या 336/2008 पर दर्ज रजिस्टर किया गया था / माननीय न्यायालय राजस्व अपील अधिकारी सवाई माधोपुर के निर्णय दिनांक 17.3.11 से यह अपील स्वीकार कर निर्णय पारित किया कि जब वादी का दावा डिक्री किया गया है तो सीमाज्ञान, रकबा बरारी, रकबा कमी बेशी के बाबत भी कार्यवाही करनी चाहिए थी / इस बिन्दु पर विवेचन कर प्रकरण में पुनः न्यायोचित निर्णय पारित करने हेतु प्रकरण प्रतिप्रेषित किया / उक्त निर्णयानुसार प्रकरण पुनः दर्ज रजिस्टर कर सुनवाई हेतु नियत किया गया / वकील उभयपक्ष की बहस सुनकर तहसीलदार टोडाभीम को माननीय न्यायालय राजस्व अपील अधिकारी सवाई माधोपुर के निर्णय दिनांक 17.3.2011 के परिपेक्ष्य में रिकार्ड एवं मौका व साबिक नक्शा ट्रेस के अनुसार रिपोर्ट प्रस्तुत करने के आदेश दिये गये / तहसीलदार टोडाभीम ने रिपोर्ट तारीख 29.6.17 न्यायालय में प्रस्तुत की / इस रिपोर्ट व नक्शा ट्रेस पर दौराने बहस प्रतिवादी वकील ने तहसीलदार टोडाभीम के हस्ताक्षर मौका रिपोर्ट पर नहीं होने का एतराज दर्ज कराया / इस पर तहसीलदार टोडाभीम को पुनः मौका रिपोर्ट तैयार कर स्वयं हस्ताक्षर कर प्रस्तुत करने के आदेश दिये गये /

तहसीलदार टोडाभीम ने पत्र संख्या 4634 तारीख 27.11.17 के साथ फर्द मौका रिपोर्ट एवं साबिक नक्शा लीट के अनुसार हाल नक्शा ट्रेस में लाल स्याही से डोटेड लाईन प्रस्तावित कर प्रस्तुत की / इस रिपोर्ट के प्रस्तुत होने पर वकील उभयपक्ष की बहस सुनी गई / वादी वकील

जगदीश आर्य
उपजिला कलक्टर

(लगातार)

Scanned by CamScanner

ने तहसीलदार टोडाभीम की ओर से प्रस्तुत फर्द मौका रिपोर्ट व नक्शा ट्रेस के अनुसार दुरूस्ती करने वादीगण का दावा डिक्री फरमाया जावे। वकील प्रतिवादी नं. 1 ता 5 विरोध दर्ज कराया।

वकील उभय पक्ष की बहस सुनकर मनन किया। पत्रावली में शामिल दस्तावेजों का अवलोकन किया। तहसीलदार टोडाभीम की ओर से प्रस्तुत फर्द मौका रिपोर्ट, साबिक नक्शा ट्रेस एवं हाल नक्शा ट्रेस का अवलोकन किया। नक्शा ट्रेस के अवलोकन से वादीगण का दावा अमल दरामद दुरूस्ती डिक्री योग्य होने से डिक्री किया जाता है।

अत: तहसीलदार टोडाभीम की रिपोर्ट तारीखी 27.11.2017 के सँलग्न नक्शा ट्रेस में लाल स्याही से दर्शित डोटेड लाईन के अनुसार हाल नक्शा ट्रेस ग्राम नाँद तहसील टोडाभीम में लाल स्याही से दुरूस्ती के आदेश दिये जाते हैं। पर्चा डिक्री जारी हो। निर्णय एवं पर्चा डिक्री की प्रति नक्शा ट्रेस की प्रति के साथ तहसीलदार टोडाभीम को पालनार्थ भिजवाई जावे। तथा प्रतिवादीगण को पाबन्द किया जाता है कि वादीगण के हिस्से की भूमि के कब्जे काश्त में मजाहमत मदाखलत नहीं करे।

निर्णय आज दिनांक 28.11.2017 को लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

जगदीश आर्य
उपजिला कलक्टर
टोडाभीम

उपजिला कलक्टर टोडाभीम (करौली)

Scanned by CamScanner